भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 326
उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2024
सोमवार, 16 माघ, 1945 (शक)

अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए कौशल शिक्षा

326. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) के युवाओं की कौशल शिक्षा तथा प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए देश, विशेषकर मध्य प्रदेश में उनके लिए विशेष कौशल और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम शुरू करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार, स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए मध्य प्रदेश राज्य और देश भर में ओबीसी और एससी युवा शामिल हैं। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार होने में सक्षम बनाना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) : पीएमकेवीवाई स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीमः जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षरों, नव-साक्षरों और 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के 8वीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर वाले और 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) : यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में उद्योग में कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) : यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल तथा युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा और मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

*****